टिप्पणी

11

अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक या अवलम्बित कानून

'अधिष्ठायी कानून'और 'प्रक्रियात्मक कानून' विधि की दो महत्वपूर्ण शाखांए है। शब्द "अधिष्ठायी" (Substantive) और "अवलिम्बित" (Adjective) को उत्पत्ति सनृ 1843 में बैथम द्वारा की गई थी। ऑस्टिन ने यह कहते हुए इस अंतर की आलोचना की थी कि "न्यायोचित विभाजन के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है।" हॉलैंड ने अपने "ट्रीटीस ऑन ज्यूरिसप्रूडैंस" में शब्द "अधिष्ठायी" और "अवलम्बित" को लोकप्रिय बनाया और इसे सामान्य रूप से लेखकों द्वारा स्वीकार किया गया। इस पाठ में हम कानून की इन दोनों शाखाओं के बीच के अंतर के प्रति 'न्यायिक दृष्टिकोण' पर चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही कानून महत्वपूर्ण है और एक के अभाव में दूसरे को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि कानून की इन दो शाखाओं के बीच में कुछ अतिव्यापी तथ्य विद्यमान हैं। कानून की इन दो शाखाओं के बीच के अन्तरों की सटीक प्रकृति का विशुद्ध रूप से उल्लेख करना कोई सरल कार्य नहीं है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि अधिष्ठायी प्रकृति के कानूनों के अभाव में प्रक्रियात्मक कानून में विनियमित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हैं, तथा प्रक्रियात्मक कानून की अनुपिस्थत में अधिष्ठायी कानून का अनुकूल अनुप्रयोग संभव नहीं है।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन आप

- अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून के बीच के अंतर के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण का वर्णन कर पाएंगे।
- अधिष्ठायी कानून के अर्थ और प्रकृति को जान पाएंगे।
- प्रक्रियात्मक या अवलम्बित कानून के अर्थ और प्रकृति को जान पाएंगे।
- अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून के बीच के अंतर को जान पाएंगे।
- उन प्रक्रियात्मक और अधिष्ठायी नियमों/सिद्धांतो का वर्णन कर पाएंगे जो समान हैं।

11.1 अधिष्ठायीकानून की तुलना में प्रक्रियात्मक कानून-न्यायिक दृष्टिकोण

Benth बैथम ने प्रतिपादित किया है कि "अधिष्ठायी कानून" तथा प्रक्रियात्मक कानून" को स्पष्ट रूप से तथा सटीक रूप में पृथक किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि 'प्रक्रिया से तात्पर्य कानूनों के निष्पादन में लगने वाली अवधि है....कानून विनिर्दिष्ट करता है कि, प्रक्रिया की अवधि पूववर्ती आवृति पर निर्भर करती है जो शब्द 'अवलम्बी कानूनों' पर आधारित होती है।" यह उन अन्य कानूनों के विपरीत है, जिनका निष्पादन उनके दृष्टिकोण में है और जो इस समान उद्देश्य के लिए अनुवर्ती विपरीत शब्द 'अधिष्ठायी कानूनों' पर आधारित हैं।

हॉलैंड ने अपनी पुस्तक "ट्रीटीज ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस" में कहा है-"कानून-उन अधिकारों को परिभाषित करता है जिनको वह सहयोग प्रदान करेगा और उस माध्यम को भी विनिर्दिष्ट करता है जिस रूप में उन्हें सहयोग प्रदान करेगा। अभी तक जैसा कि परिभाषित किया गया है, उसके द्वारा 'अधिष्ठायी कानून' का सूजन किया गया। जैसा कि इसमें सहयोग और संरक्षण की विधि का प्रावधान किया गया है, वह अविलंबित कानून है।"

बहरहाल, **सेल्मंड** दूसरी और यह कहते हैं कि "पृथकत्व को सटीक रूप से सिद्धांत में निर्मित किया गया है किन्तु व्यवहारिक प्रयोग में अनेक प्रक्रियात्मक नियम "समग्र रूप से या" अधिष्ठित रूप में अधिष्ठायी कानून के नियमों के समान है।" सेल्मंड ने यह पाया कि यदि एक व्यक्ति इस तथ्य को देखता है कि "न्यायकरण (administration of justice) अपने विशिष्ट रूप में अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपायों के अनुप्रयोग में शामिल है, तो इसका अर्थ है कि अधिष्ठायी कानून वह है जो अधिकारों को परिभाषित करता है और प्रक्रियात्मक कानून उपायों को निर्धारित करता है" किन्तु अधिकार और उपाय (jus और remedium) के बीच का यह अंतर अमान्य है क्योंकि यहां अनेक अधिकार है (व्यापक दृष्टिकोण में) जो प्रक्रिया के कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, अपील का अधिकार, अपने स्वयं की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार, अन्य पक्ष से पूछताछ करने का अधिकार आदि। दूसरी ओर, उपाय को परिभाषित करने वाले नियम उतने ही अधिष्ठायी कानून के भाग हैं जितने कि स्वयं अधिकार को परिभाषित करने वाले नियम हैं। आपराधिक कानून का अधिष्ठायी भाग केवल अपराध से ही संबंधित नहीं है बल्कि दंड से भी संबंधित है। इस लिए सिविल कानून में अधिष्ठायी कानून से संबंधित क्षतियों के उपाय के रूप में नियम, 'क्षति' से घोषित नियम कार्यवाही योग्य हैं। इस प्रकार, प्रक्रिया को अधिकारों से नहीं बल्कि उपायों से संबंधित होने के रूप में परिभाषित करना 'उपाय' को उस प्रक्रिया के विरोध में स्थापित करना है जिससे उसका निर्माण हुआ है।

सेल्मंड ने उल्लेख किया है कि "प्रक्रिया के कानून को विधि की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुकदमावाजी (litigation) की प्रक्रिया को शासित करती है" यह कार्रवाई विधान है। अधिष्ठायी कानून में संपूर्ण अवशिष्ट, और यह अभियोग की प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं बल्कि इसके प्रयोजनों और विषयवस्तु से संबंधित हैं....अधिष्ठायी कानून उन छोरों से संबंधित है जो न्यायकरण की व्याख्या करते हैं। यह अभियोजित मुद्दों से संबंधित आचरण और संबंधों का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि "प्रक्रियात्मक कानून न्यायालय के भीतर के मामलों से संबंधित है।" जबकि "अधिष्ठायी कानून बाहरी विश्व के विषयों से संबंधित है।"

अन्य विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण यह है कि "अधिष्ठायी कानून" और प्रक्रियात्मक कानून" के बीच में कोई अंतर नहीं है। अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून के बीच का अंतर कृत्रिम और अवास्तविक है। सार रूप में इनमें कोई अंतर नहीं है। वाद या वादकायी के पास अभी तक, उपचारात्मक और पूर्वनिर्धारित तंत्र के रूप में इस का प्रयोग करने के लिए मान्यता प्राप्त जो दावा अधिकार है, कानून की भाषा में वे अधिकार का ही एक भाग है।

प्रॉफेसर कूक ने "Substance" and "Procedure" in the Conflict of Laws में त्रिआधारित संकल्पना प्रस्तुत की हैं- (i) अधिष्ठा (ii) प्रक्रिया और (iii) एपिनंब्रा, "twilight zone," "no-man's land" जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य की स्थिति के आधार पर "अधिष्ठित" या "प्रक्रियात्मक" हो सकती है।

पाठगत प्रश्न 11.1

बताएं सही/गलत

1. अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून के बीच का अंतर कृत्रिम और अवास्तविक है। (सही/गलत)

2. "अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून के बीच पृथकत्व को सटीक रूप से सिद्धांत में निर्मित किया गया है किन्तु व्यवहारिक प्रयोग में अनेक प्रक्रियात्मक नियम 'समग्र रूप से या अधिष्ठित रूप में अधिष्ठायी कानून के नियमों के समान है।" सेल्मंड (सही/गलत)

11.2 अधिष्ठायी कानून का अर्थ और प्रकृति

आइए, अब अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा करें और दोनों कानूनों के कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की भी चर्चा करें।

अधिष्ठायी कानून का निर्माण समान, सांविधिक, संवैधानिक और मौलिक रूप से समान तथ्यों और स्थितियों वाले मामलों के विधिक पूर्व-निर्णयों का अनुसरण करने वाले न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले सिद्धांतों से होता है। समय के साथ साथ और नए कानूनों के निर्माण के साथ साथ अधिष्ठायी कानून की मात्रा में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए दंड विधि, संविदा कानून, सम्पत्ति कानून विशेष राहत अधिनियम आदि अधिष्ठायी कानून हैं।

विभिन्न पेशेवरों पाठों के लेखों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिष्ठायी कानून विषयों (व्यक्तियों) और विषय तथा राज्य के बीच के विधिक संबंध पर कार्य करता हैं। अधिष्ठायी कानून एक सांविधिक कानून है जो कानून द्वारा संरक्षित किए जाने वाले नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित और निर्धारित करता है। अपराध या गलत कृत्य को और उनके उपचारों को परिभाषित करता है। उन तथ्यों को निर्धारित करता है जिसमें गलत कृत्य निहित होते हैं। याथा न्यायकरण के परिप्रेक्ष्य में अभियोग की विषयवस्तु। अधिष्ठायी कानून 'उपाय' और अधिकार को परिभाषित करता है। लोक कानून और प्राइवेट कानून की सभी श्रेणियों को शामिल करता है और अधिष्ठायी कानून और आपराधिक कानून को भी शामिल करता है।

सारांश में, यह कहा जा सकता है कि अधिष्ठायी कानून वह सांविधिक कानून है जो लोगों और राज्य के बीच के संबंधों पर कार्य करता है। इसलिए, लोगों और राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अधिष्ठायी कानून मामले की संरचना और तथ्यों से संबंधित है। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है तथा इसे गैरविधिक परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं किया जा सकता है।

11.2.1 अधिष्ठायी सिविल कानून (Substantive Civil Law)

सिविल कानून में कोई प्राइवेट गलत कृत्य (private wrong), 'अपकृत्य' शामिल है जो अनैतिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुँचाता है जिसके परिणामस्वरूप अपराधपूर्ण कृत्य करने वाले व्यक्ति का कानूनी दायित्व उत्पन्न हो जाता है। अधिष्ठायी कानून 'अपकृत्य' के लिए आरोप को परिभाषित करता है। अधिष्ठायी कानून संविदाओं के कानून को भी शामिल करता है और परिभाषित करता है कि संविदा, सदाशयी संपत्ति के निर्माण के लिए अपेक्षित अनिवार्य तत्व कौन से हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 भारत में मुसलमानों से इतर व्यक्तियों के संबुंध में वसीयती उत्तराधिकार के अधिष्ठायी कानून और हिन्दुओं और मुसलमानों से इतर व्यक्तियों के संबंध में निर्वसीयत से संबंधित है। अन्य अधिनियम जिनमें भारत में अधिष्ठायी कानून से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882।

11.2.2 अधिष्ठायी आपराधिक कानून (Substantive Criminal Law)

भारत में भारतीय दंड संहिता विभिन्न दंडनीय अपराधों और अपराध के व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले तत्वों की सूची को परिभाषित करता है। इसमें इन अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंडों का भी प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, अधिष्ठायी आपराधिक कानून "हत्या", "ढकैती", "बलात्कार", "हमले" आदि के तत्वों को परिभाषित करता है।

पाठगत प्रश्न 11.2

1. अधिष्ठायी कानून के विभिन्न स्रोतों की सूची तैयार करें।
2. अधिष्ठायी सिविल कानून को परिभाषित करें।

11.3 प्रक्रियात्मक कानून का अर्थ और प्रकृति

प्रक्रियात्मक कानून (या अवलम्बित कानून) कानून के प्रवर्तन से संबंधित है जिसे पद्धति, प्रक्रिया और तंत्र द्वारा निर्देशित और विनियमित किया जाता है। न्यायकरण के लिए यह कानून अत्यंत आवश्यक है। प्रक्रियात्मक कानून उस माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा समाज अपने अधिष्ठायी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। प्रक्रियात्मक कानून की उत्पत्ति संवैधानिक कानून, विधान द्वारा पारित अधिनियमों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपनी कर्मचारियों के लिए लिखित विनियमों के प्रचार से संबंधित है, जिनके पास कानून की शक्ति नहीं है किन्तु जिनके

उल्लंघन के परिणामस्वरूप आंतरिक प्रतिबंध उत्पन्न हो सकते हैं और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम और प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश से हुई है। हॉलेड के अनुसार, अवलम्बित कानून, हालांकि, प्राथमिक रूप से अधिकारों और निजी अभियोजक के कृत्यों से संबंधित है, किन्तु यह न्यायालयों के संगठन, न्यायाधीशों और शैरिफों के दायित्वों जैसे विषयों से भी कुछ हद तक संबंधित है, जो कि लोक कानून का भाग हैं। इसमें शामिल हैं; (i) न्यायाधिकार (मतभेदों की दृष्टि से); (ii) न्यायाधिकार (घरेलू दृष्टि से); (iii) समन, अभिवचन, मुकदमा (साक्ष्य सहित) सहित कार्रवाई; (iv) न्यायालय का निर्णय; (v) अपील; (vi) निष्पादन।

प्रक्रियात्मक कानून वह कानून है जो अधिकारों के प्रवर्तन की विधि या इनके उल्लंघन की स्थिति में उपायों प्राप्त करने की विधि; मुकदमा करने के तंत्र को निर्धारित करता है।

भारत में प्रक्रियात्मक कानून के उदाहरण हैं: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; परिसीमा अधिनियम, 1963; न्यायालय फीस अधि नियम, 1870; वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887।

प्रक्रियात्मक कानून को वह कानून कहा जा सकता है जो कि–

- उन नियमों को निर्धारित करता है जिसकी सहायता से कानून का प्रवर्तन किया जाता है।
- अभियोजन और निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित है– 'गलत' और 'अपकृत्य' के सबूतों के तथ्य कौन से हैं।
- न्यायकरण के परिप्रेक्ष्य में – कानूनी प्रक्रिया अधिकारों के उल्लंघन के उपचारों के अनुप्रयोग के माध्यमों और शर्तो को परिभाषित करता है।
- अवलम्बित नियम हैं जो उस विधि को निर्धारित करता है जिसमें राज्य पर, एक व्यक्ति के रूप में अभियोजित किया जा सकता है या वाद चलाया जा सकता है।
- पुलिस तथा न्यायधीशों से साक्ष्य प्राप्त करने, खोज करने, हिरासत में लेने, बेल देने, और मुकदमें में साक्ष्य प्रस्तुत करने और निर्णय की प्रक्रिया के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है।
- यह एक क्रियाविधि है जो सभी विधिक प्रक्रियाओं, सिविल या आपराधिक को शामिल करती हैं।

11.3.1 प्रक्रियात्मक सिविल कानून

सिविल प्रक्रियात्मक कानून में वे नियम और मानक शामिल हैं जिनका अनुसरण सिविल मुकदमों में न्यायालयों द्वारा किया जाता है। ये नियम निर्धारित करते हैं कि एक सिविल मुकदमा या मामले कैसे आरंभ किया जाए, किसी प्रकार की सेवा प्रक्रिया (यदि कोई हो) की आवश्यकता है, मामले के अभिवचनों या विवरणों के प्रकार, प्रस्ताव या आवेदन, और सिविल मामलों में अनुमत आदेश, साक्ष्यों तथा खोज या प्रकटन का समय और विधि, मुकदमों की कार्रवाई, न्याय-निर्णय की प्रक्रिया, उपलब्ध विभिन्न उपाय, और न्यायालयों और लिपिकों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। सिविल कार्रवाई, अन्यों के विरूद्ध प्राइवेट व्यक्ति या समूह, कंपनियों

या संगठनों द्वारा दावों के न्यायिक समाधान से संबंधित है और इसके अतिरिक्त, सरकार भी सिविल कार्रवाईयों का पक्ष बन सकती है। भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 सिविल न्यायलय की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों के समेकन और संशोधन से संबंधित है।

11.3.2 प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून

चूंकि प्रक्रियात्मक कानून अपराधों से संबंधित है, यह उन चरणों को उपलब्ध कराता या विनियमित करता है जिनके द्वारा, दंड अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात जांच संबंधी और अधिनिर्णय स्तर। जांच संबंधी चरण में, जांच प्रक्रिया में प्राथमिक रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का निर्धारण करना और दंडात्मक अपराध के संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेना शामिल है। अधिनिर्णय चरण उस समय आरंभ होता है जब न्यायालय में कथित आपराधिक आचरण के लिए संदिग्ध के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। भारत में आपराधिक दंड संहिता में आपराधिक न्यायलयों द्वारा पीनल अपराधों के अभियोजन और दंड दिए जाने का प्रावधान है। यह संहिता विभिन्न अपराधों के संबंध में हिरासत, जांच, बेल, न्यायाधिकार, अपील और संशोधनों और अपराधों के संयोजन आदि के संबंध में ब्यौरा को भी उपलब्ध कराता है।

पाठगत प्रश्न 11.3

1. प्रक्रियात्मक कानून को परिभाषित करें।
2. भारत में सिविल प्रक्रियात्मक कानून के उदाहरण प्रस्तुत करें।
3. भारत में आपराधिक प्रक्रिया कानून के उदाहरण प्रस्तुत करें।
4. प्रक्रियात्मक कानून के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाएं।

क्या आप जानते है

अवलम्बित/प्रक्रियात्मक कानून अधिष्ठायी कानून से कम नहीं है और यह सामान् या असामान्य भी हो सकता है (यथा कृतिम व्यक्ति, और उस प्रकार व्यक्ति जो अभियोग के संबंध में और साधारण व्यक्तियों यथा पागल, नाबालिक द्वारा अभियोजन किए जाने के संदर्भ में भिन्न स्थिति में हों।)

11.4 अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून के बीच में अंतर

प्रक्रियात्मक कानून अधिष्ठायी कानून से सदैव ही कम महत्वपूर्ण रहा है। प्रक्रियात्मक कानून द्वारा ऐसा कुछ नहीं दिया जा सकता है जिसे कि अधिष्ठायी कानून द्वारा दिये जाने की वांछा नहीं है और प्रक्रियात्मक कानून से ऐसा कुछ भी नहीं लिया जा सकता है जो अधिष्ठायी कानून द्वारा प्रदान किया गया है।

अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अन्तर

अधिष्ठायी कानून	प्रक्रियात्मक कानून
अधिष्ठायी कानून लोगों तथा विधिक निकायों के दायित्वों और अधिकारों को परिभाषित और निर्धारित करता है।	प्रक्रियात्मक कानून सिविल तथा आपराधिक कानून में सहयोग की विधि, प्रवर्तन के चरणों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
जब कोई विशिष्ट कानून अधिकारों या अपराधों या किसी अधिनियम को परिभाषित करता है तो उसे अधिष्ठायी कानून कहते हैं। यह परिभाषित करता है कि किसी अपराध या अपकृत्य को किस प्रकार दंडित किया जाता है और किसी प्रकार मामले के साक्ष्यों और तथ्यों की व्यवस्था की जाती है। उदाहरण: "मानव हत्या" की परिभाषा अधिष्ठायी है।	प्रक्रियात्मक कानून यह निर्धारित करने के लिए नियम उपलब्ध कराता है कि मामले की प्रक्रिया के दौरान अधिष्ठायी कानून का किसी प्रकार न्यायाकरण, प्रवर्तन, आवेशन किया जाता है। इसमें प्रक्रिया, अभिवचन तथा साक्ष्य शामिल है। उदाहरण के लिए, 'मानव हत्या' के दोषी व्यक्ति के लिए तीव्र मुकदमें का अधिकार प्रक्रियात्मक है।
अधिष्ठायी कानून न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए भी प्रावधान उपलब्ध कराता है, कि किस प्रकार के व्यवहार की अनुमति है और किस प्रकार का व्यवहार प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए अधिष्ठायी कानून हत्या या नशीले पदार्थो की बिक्री को प्रतिबंधित करता है।	प्रक्रियात्मक कानून यह निर्धारित करने के लिए नियम उपलब्ध करता है कि अधिष्ठायी कानूनों को किस प्रकार व्यवस्थित, प्रवर्तित और आवेशित किया जाएगा और विवादों की मध्यस्था में इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए अदालत में आरोप दायर करना और साक्ष्य प्रस्तुत करना।

आइए अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून के बीच अंतरों को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझें।

- अपील का अधिकार एक अधिष्ठायी है और संविधि का सृजक है। परिसीमा के नियम अवलम्बित कानून के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।
- कतिपय परिसंपत्ति की वसूली का अधिकार अधिष्ठायी कानून का प्रश्न है (ऐसे अधि कारों का निर्धारण और संरक्षण) न्यायकरण के छोरों में से हैं); किन्तु व्यक्ति किस न्यायालय में और किस समय-सीमा के भीतर न्यायालय की प्रक्रियाओं को आरंभ करेगा, यह प्रक्रियात्मक कानून का विषय है (क्योंकि वे मात्र उन माध्यमों से संबंधि त है जिनमें न्यायालय अपनी कार्यप्रणाली को पूरा करते हैं।)
- अधिकारों के उल्लंघन के उपचारों के अनुप्रयोग से संबंधित न्यायकरण का संबंध है, अधिष्ठायी कानून 'उपाय और 'अधिकार' को परिभाषित करता है। जबकि न्याय विधि एक के ऊपर दूसरे के अनुप्रयोग की विधियों और शर्तो को परिभाषित करता है।
- कानून कि 'कोकीन' को अपने पास रखना अपराध है, एक अधिष्ठायी कानून है। दंड प्रक्रिया दंडात्मक संविधि के उल्लंघनों के निर्धारण और निर्णयन के लिए नियमों को स्थापित करता है। उदाहरण के लिए, पुलिस संदग्धिों की गैरयुक्तियंगत तलाशी या उनके सामान को जब्द या बलपूर्वक अपराध स्वीकार नहीं करा सकती है। यदि

पुलिस इन या अन्य प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन करती है तो विभिन्न प्रक्रियात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मुकदमें के दौरान साक्ष्यों को शामिल न किया जाना या आरोप को खारिज किया जाना।

- कोई अपराध जुर्माने की अदायगी द्वारा दंडनीय है या कारागार द्वारा, अधिष्ठायी कानून का विषय है। किन्तु कोई अपराध संक्षेप में या केवल अभ्यारोपण यह प्रक्रिया का विषय और इसलिए ये प्रक्रियात्मक कानून का प्रश्न है।

पाठगत प्रश्न 11.4

बताएं सही/गलत

1. अधिष्ठायी कानून लोगों और विधिक निकायों के दायित्वों और अधिकारों को परिभाषित और निर्धारित करता है। (सही/गलत)
2. प्रक्रियात्मक कानून सिविल तथा आपराधिक कानून में सहयोग की विधि, प्रवर्तन के चरणों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। (सही/गलत)

11.5 अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून-पूर्वव्यापी और प्रत्याशित

सामान्य रूप से सभी प्रक्रियात्मक नियम पूर्वव्यापी होती हैं जब तक कि विधायिका में विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

'नानी गोपाल मित्रा बनाम बिहार राज्य' (एआईआर 1970 एससी 1636) में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि पूर्ववर्ती रूप में प्रचालित प्रक्रिया से संबंधित संशोधन इस अपवाद में मद्देनजर होंगे कि प्रक्रिया जो कोई भी हो जिसे सही रूप में अपनाया गया है और पुराने कानून के अंतर्गत सम्पन्न प्रक्रियाएं के मामले में इसे नई प्रक्रिया में लागू किए जाने के उद्देश्य से पुन: खोला नहीं जाएगा।

"हितेष विष्णु ठाकुर तथा अन्य इत्यादि बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य (1994)" 4 एससीसी 602 में, न्यायालय ने अपने प्रचालन में पूर्ववर्ती होने के कारण प्रक्रियात्मक कानून के की विधिक स्थिति के संबंध में समन दिया और निम्नलिखित शब्दों में वादी को यह अधिकार प्रदान किया कि वह एक विशिष्ट अदालत में मुकदमा की कार्रवाई की जा सकती है-

(i) एक संविधि (Statute) जो अधिष्ठायी अधिकारों को प्रभावित करती है, को उसकी कार्यप्रणाली में प्रत्याशित माना जाएगा बशर्ते इसे अभिव्यक्ति रूप में या आवश्यक नियतन द्वारा पूर्वव्यापी बनाया जाए जबकि एक संविधि जो मात्र प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बशर्ते इस प्रकार की संरचना पाठीय रूप से असंभव हो, उसे उसके अनुप्रयोग में पूर्वव्यापी माना जाएगा और इसे विस्तारित अर्थ प्रदान नहीं किया जाएगा और यह कड़ाई के साथ अपनी सुस्पष्ट परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित रहेगा।

(ii) न्यायाधिकरण (Forum) और परिसीमा से संबंधित कानून प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, जबकि कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित नियम हालांकि प्रकृति में अधिष्ठायी है।

(iii) प्रत्येक वादी को अधिष्ठायी कानून में निहित अधिकार व्याप्त है किन्तु प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार विद्यमान नहीं है।

(iv) सामान्य रूप से कहा जाए तो एक प्रक्रियात्मक संविधि का अनुप्रयोग पूर्वव्यापी रूप से नहीं किया जाना चाहिए जहां परिणाम परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों के सृजन के लिए हों या पहले से किए गए संव्यवहारों के संबंध में नए दायित्वों को लगाने के विषय में हो।

(v) एक संविधि जो न केवल प्रक्रिया को परिवर्तित करती है किन्तु नए अधिकारों और दायित्वों को भी निर्माण करती है, ऐसे कार्यप्रणाली में प्रत्याशित रूप में तैयार किया जाना चाहिए, बशर्ते अन्यथा अभिव्यक्ति रूप में या आवश्यक परिणामों द्वारा प्रावधान किया गया हो।

'राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और एएनआर बनाम बाल मुकुंद बैर्वा' (2009) 4 एससीसी 299) में न्यायालय ने न्यायमूर्ति बेंजमिन एन.कार्डोजा द्वारा अपने व्याख्यानों के प्रसिद्ध समेकन -The Nature of Judicial Process में किए गए अवलोकनों के संबंध में उत्तर दिया कि–"अधिकतर मामलों में न्याय निर्णय पूर्वव्यापी होता है। केवल उन ही स्थितियों में जहां कठिनाइयां अत्यधिक होती हैं। वहां पूर्वव्यापी कार्यप्रणाली को रोक दिया जाता है।"

पाठगत प्रश्न 11.5

बताएं सही/गलत

1. सामान्य रूप में, सभी कानून पूर्वव्यापी होते हैं बशर्ते विधान ऐसा विनिर्दिष्ट करे। (सही/गलत)
2. लोक तथा प्राइवेट कानून-दोनों 'अधिष्ठायी या प्रक्रियात्मक कानून हो सकते हैं। (सही/गलत)

क्या आप जानते है

लोक और प्राइवेट कानून अधिष्ठायी या प्रक्रियात्मक कानून हो सकते हैं। अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून के बीच का अंतर सदैव सुगम या सुस्पष्ट नहीं होता है। एक ही कानून प्रक्रियात्मक और अधिष्ठायी हो सकता है। उदाहरण के लिए साक्ष्य अधिनियम, 1872।

11.6 समीकरण-प्रक्रियात्मक और अधिष्ठायी नियम/सिद्धांत

सेल्मंड के अनुसार, हालांकि अधिष्ठायी कानून और प्रक्रियात्मक कानून के बीच के अंतर को सिद्धांत रूप में सटीक रूप में निर्धारित किया गया है, प्रक्रिया के ऐसे अनेक नियम हैं जो अपने व्यवहारिक प्रयोग में पूर्णता या व्यापकरूप से अधिष्ठायी कानून के नियमों के समान हैं। प्रक्रियात्मक और अधिष्ठायी सिद्धांतों की इन समानताओं में से निम्नानुसार कम से कम तीन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है–

1. एक विशिष्ट साक्ष्य तथ्य व्यवहारिक रूप में सिद्ध किए जाने के अधिकार के स्वत्वाधिकार में संगठक तत्वों के समान हैं। उदाहरण के लिए साक्ष्य का नियम कि संविदा को केवल लिखित पत्राचार के माध्यम से ही सिद्ध किया जा सकता है जबकि अधिष्ठायी कानून का नियम कहता है कि संविदा वैध है जब तक कि उसे लिखित रूप में संक्षिप्त न किया जाए।

2. निर्णायक साक्ष्य तथ्य उसके द्वारा सिद्ध तथ्यों के समान हैं और उसका स्थान ले सकते हैं। उदाहरण के लिए:

   - आठ वर्ष के कम की आयु वाला बच्चा आपराधिक मंशा के लिए अक्षम है, यह साक्ष्य का नियम है, किन्तु यह अधिष्ठायी नियम से इसे रूप में भिन्न है कि इस आयु ने कम वाला कोई भी बच्चा अपराध के लिए दंडनीय नहीं है।
   - अपने मौलिक के व्यवसाय के संबंध में अपने मालिक के प्रधिकार से किए गए नौकर के कृत्य कानून की निर्णायक उपधारणा है किन्तु यह नियोक्ता के दायित्व के हमारे आधुनिक अधिष्ठायी कानून अगुआ और समतुल्य है।
   - एक 'ब्रांड' (अर्थात मुहरा के अंतर्गत ऋणग्रस्तता की स्वीकृति) मूल रूप से ऋण के मौजूदा निर्णायक सबूत के रूप में क्रियात्मक हैं; किन्तु अब यह स्वयं ऋण का सृजक है; क्योंकि यह अब प्रक्रिया के कार्यक्षेत्र से अधिष्ठायी कानून में परिवर्तित हो गया है।

3. कार्रवाईयों की परिसीमा अधिकारों के निर्धारण के प्रक्रियात्मक समतुल्य है। पहला अधिकार और उपाय के बीच के बंधन के पोषण में समय की प्रक्रिया है और दूसरा अधिकारों के विनाश में समय की प्रक्रिया है।

पाठगत प्रश्न 11.6

बताए सही/गलत

1. एक विशिष्ट साक्ष्य तथ्य व्यवहारिक रूप में सिद्ध किए जाने के अधिकार के स्वत्वाधिकार में संगठक तत्वों के समान हैं। (सही/गलत)

2. निर्णायक साक्ष्य तथ्य उसके द्वारा सिद्ध तथ्यों के समान हैं और उसका स्थान ले सकते हैं। (सही/गलत)

आपने क्या सीखा

'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून', विधि की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अधिष्ठायी कानून एक सांविधिक कानून है जो कानून द्वारा संरक्षित किए जाने वाले नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित और निर्धारित करता है। प्रक्रियात्मक कानून (या अवलम्बित कानून) कानून के प्रवर्तन से संबंधित है जिसे पद्धति, प्रक्रिया और तंत्र द्वारा निर्देशित और विनियमित किया जाता है।

अधिष्ठायी कानून अपराध या गलत कृत्य को और उनके उपचारों को परिभाषित करता है। उन तथ्यों को निर्धारित करता है। जिसमें गलत कृत्य निहित होते हैं यथा न्यायकरण के परिप्रेक्ष्य में अभियोग की विषयवस्तु। अधिष्ठायी कानून 'उपाय' और अधिकार को परिभाषित करता है। लोक कानून और प्राईवेट कानून की सभी श्रेणियों को शामिल करता है और अधिष्ठायी कानून और आपराधिक कानून को भी शामिल करता है।

प्रक्रियात्मक कानून उन नियमों को निर्धारित करता है जिसकी सहायता से कानून का प्रवर्तन किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि-'गलत' और 'अपकृत्य' के सबूतों के तथ्य कौन से हैं। न्यायकरण के परिप्रेक्ष्य में- कानूनी प्रक्रिया अधिकारों के उल्लंघन के उपचारों के अनुप्रयोग के माध्यमों और शर्तो को परिभाषित करता है। अवलक्बित नियम हैं जो उस विधि को निर्धारित करता है जिसमें राज्य पर, एक व्यक्ति के रूप में अभियोजित किया जा सकता है या वाद चलाया जा सकता है। पुलिस तथा न्यायाधीशों से साक्ष्य प्राप्त करने, खोज करने, हिरासत में लेने, बेल देने, और मुकदमें में साक्ष्य प्रस्तुत करने और निर्णय की प्रक्रिया के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह एक क्रियाविधि है जो सभी विधिक प्रक्रियाओं, सिविल या आपराधिक को शामिल करती है। उदाहरण के लिए साक्ष्य कानून (साक्ष्य धिनियम, 1872)।

हालांकि 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून' के बीच के अंतर को सिद्धांत रूप में सटीक रूप में निर्धारित किया गया है, प्रक्रिया के ऐसे अनेक नियम हैं जो अपने व्यवहारिक प्रयोग में पूर्णता या व्यापकरूप से अधिष्ठायी कानून के नियमों के समान हैं।

एक संविधि (Statute) जो अधिष्ठायी अधिकारों को प्रभावित करती है, को उसकी कार्यप्रणाली में प्रत्याशित माना जाएगा बशर्ते इसे अभिव्यक्ति रूप में या आवश्यक नियमन द्वारा पूर्वव्यापी बनाया जाए जबकि एक संविधि जो मात्र प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बशर्ते इस प्रकार की सरंचना पाठीय रूप से असंभव हो, उसे उसके अनुप्रयोग में पूर्वव्यापी माना जाएगा और इसे विस्तारित अर्थ प्रदान नहीं किया जाएगा और यह कड़ाई के साथ अपनी सुस्पष्ट परिभाषित सीमाओं के भीतर ही सीमित रहेगा।

पाठांत प्रश्न

1. 'अधिष्ठायी कानून' परिभाषित करें।
2. 'प्रक्रियात्मक या अवलम्बित कानून' को परिभाषित करें।
3. 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक या अवलम्बित कानून' के बीच में उदाहरणों की सहायता से अंतर बताएं।
4. उन नियमों/सिद्धांतो का वर्णन करें जहां प्रक्रियात्मक कानून या अधिष्ठायी कानून' समान हैं।
5. उल्लेख करें कि 'अधिष्ठायी कानून' और प्रक्रियात्मक कानून' पूर्वव्यापी हैं या प्रत्याशित हैं।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

11.1

1. सही
2. सही

11.2

1. 'अधिष्ठायी कानून' का निर्माण, समान सांविधिक, संवैधानिक और मौलिक रूप से समान तथ्यों आदि स्थितियों बाते मामलों के विधिक पूर्व-निर्णयों का अनुसरण करने वाले निर्णयों में पाए जाने वाले सिद्धान्तों से होता है।
2. 'अधिष्ठायी सिविल कानून' वह सांविधिक कानून है जो लोगों और राज्य के बीच के संबंधो पर कार्य करता है। लोगों और राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अधिष्ठायी सिविल कानून उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अनैतिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुंचाता है जिसके परिणामस्वरूप अपराधपूर्ण कृत्य करने वाले व्यक्ति का कानूनी दायित्व उत्पन्न हो जाता है।

11.3

1. 'प्रक्रियात्मक कानून' वह कानून है जो अधिकारों के प्रवर्तन की विधि या इनके उंल्लघन की स्थिति में उपायों प्राप्त करने की विधि; मुकदमा करने के तंत्र को निर्धारित करता है। 'प्रक्रियात्मक कानून' कानून के प्रवर्तन से संबंधित हैं जो पद्धति, प्रक्रिया और न्याय-तंत्र द्वारा निर्धारित और विनियमित होता है। यह न्यायकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. भारत में 'प्रक्रियात्मक कानून' के उदाहरण हैं- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; परिसीमा अधिनियम, 1963; न्यायालय फीस अधिनियम, 1870; वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887।
3. भारत में दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक न्यायलयों द्वारा पीनल अपराधों के लिए मुकदमा चलाने व उन्हें दंड देने की प्रक्रिया उपलब्ध कराती है।
4. 'प्रक्रियात्मक कानून' के विभिन्न स्रोत हैं (i) संवैधनिक कानून (ii) विधान द्वारा पारित अधिनियम (iii) उच्चतम न्यायालय के नियम, और (iv) विधि-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित लिखित विनियम।

11.4

1. सही
2. सही

11.5

1. सही
2. सही

11.6

1. सही
2. सही